

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राज्य राजमार्ग के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु राशि ₹ 3500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

जिला और अन्य सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु राशि ₹ 6500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 65,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3 से 6

ए.डी.बी. सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि ₹ 74.70 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 74.70 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 74,70,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 7

जिला धमतरी के कुरुद के उमरदा सिंघारी मार्ग के किमी 33/6 पर मदरौद नाला पर पुल निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 300.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

धमतरी शहर में (i) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.30 के किमी 74 से 80 में पेव्हड शोल्डर से चौड़ीकरण, पक्की नाली सहित निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 865.57 लाख) तथा (ii) नहर नाका चौक से लक्ष्मी निवास चौक तक 2.10 किमी का चौड़ीकरण कार्य (अनुमानित लागत ₹301.66 लाख) हेतु ₹100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है । उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । उक्त अग्रिम प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं अधिग्रहित भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु ₹ 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

जिला मुख्यालय महासमुन्द में जिला न्यायालय के पहुँच मार्ग 341 मीटर (अनुमानित लागत ₹ 138.19 लाख) तथा अधिग्रहित भू-अर्जन मुआवजा भुगतान (₹ 54.60 लाख) इस प्रकार कुल ₹193.19 लाख पर इस वर्ष ₹10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

कचना बलौदाबाजार मार्ग में भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु ₹ 245.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,45,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।